

राजस्थान सरकार  
निदेशालय पशुपालन, जयपुर।

क्रमांक:-एफ.वी.42 (III) उ.नि.गो./भा.जी.ज.के.बोर्ड/प्र.क्रू.नि./2021-22/

दिनांक:


समस्त जिला संयुक्त निदेशक,  
एवं पदेन सचिव,  
जिला पशु क्रूरता निवारण समिति,  
राजस्थान।

विषय:- please prohibit the manufacture, sale, and use of cruel and illegal gestation and farrowing crates for pig farms.

प्रसंग:- श्री फरहत ऐडवोकेसी एंसोसिएट पेटा (PETA) इंडिया का मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर को संबोधित पत्र, कार्यालय मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर के प्रेषण संख्या 906840 दिनांक 08.02.2022 के अनुसरण में शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर के डायरी क्रमांक 493/SAH/12 दिनांक 09.02.2022

प्रासंगिक विषयान्तर्गत लेख है कि श्री फरहत ऐडवोकेसी एंसोसिएट पेटा (PETA) इंडिया के मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर को संबोधित पत्र में सूअर पालन के उपयोग में आने वाली गेस्टेसनल एवं फैरोइंग क्रेट के निर्माण, ब्रिकी और उपयोग को section 11 (1)(e) P.c.a Act 1960 के परिपेक्ष्य में प्रतिबंधित करने की मांग प्रस्तुत की है।

अतः प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति संलग्न कर लेख है कि पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 section 11(1)(e) जो कि - "any animal in any cage or receptacle which does not measure sufficiently in height, length and breadth to permit the animal a reasonable opportunity for movement and express their natural behavior." के अनुसार जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर अनुपालना सुनिश्चित करावें।


  
निदेशक

क्रमांक:-एफ.वी.42 (III) उ.नि.गो./भा.जी.ज.के.बोर्ड/प्र.क्रू.नि./2021-22/4158-दिनांक:- 03-03-2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

4184

1. संयुक्त शासन सचिव, कार्यालय मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त जिला कलक्टर एवं पदेन अध्यक्ष, जिला पशु क्रूरता निवारण समिति, राजस्थान।
4. श्री फरहत ऐडवोकेसी एंसोसिएट पेटा (PETA) इंडिया, मुम्बई, महाराष्ट्र।

  
निदेशक